न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /23/2021

1–भीम सिंह उम्र 64 वर्ष । पुत्रगण करनसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम बछागदी
2–राजवीर उम्र 42 वर्ष । तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–गिर्राजशरण उम्र 70 वर्ष पुत्र मंगल जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
2–वीरेन्द्र उम्र 40 वर्ष पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई

..... उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 9.8.91 बाबत नामान्तकरण संख्या 859 ग्रांम बछामंदी तहसील नदबई।

उपस्थितः–
1–श्री सन्तोषी लाल अभिभाषक अपीलान्टस
2–श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 18.2.2026**

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्व आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 9.8.91 बाबत नामान्तकरण संख्या 859 ग्रांम बछामदी तहसील नदबई, न्यायालय हाजा में दिनांक 18.8.2021 को इस आश्य की पेश की गई है संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 128/0.39 (गत 84 मिन/ 1-11) ग्रांम बछामंदी तहसील नदबई आराजी पर अपीलार्थी की मवेशी चरती है यह आराजी चारागाह गोचर की भूमि है जिसका आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है। आराजी साविक खसरा नम्बर 84 मिन जमाबन्दी संवत 2028 में खाना नम्बर 5 चारागाह भूमि अंकित है कुल रकवा 20 बीघा 7 विस्वा अंकित है ए.डी.एम. साहब भरतपुर के आदेश का हवाला देकर विपती पुत्र श्रीचन्द को आराजी पर गैर खातेदार का नामान्तकरण नियमों के खिलाफ स्वीकार किया गया है। चारागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खातेदारी/गैर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 2.8.1991 भी क्षेत्राधिकार से परे है। ए.डी.एम. न्यायालय को भी चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विवादित आराजी अपीलार्थी की खातेदारी के अन्य खसरा नम्बर 126,127,133,132 ग्रांम बछामदी तहसील नदबई के बीच स्थित है तथा अपीलार्थी के भौतिक कब्जे काश्त में है जिसका मौके पर कोई पृथक्करण नहीं हो रहा है अपीलार्थी के उक्त खसरा नम्बरो में मिला हुआ है। उक्त विपती का देहान्त हो चुका है जिसकी वसीयत के आधार पर उसके

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उत्तरवादी संख्या 1 गिर्राजशरण के हक में दर्ज की गई है और गिर्राजशरण ने यह आराजी अब उत्तरवादी संख्या 2 वीरेन्द्र को दिनांक 10.8.21 को बेचान कर दिया है। इस प्रकार विवादित आराजी विरासत वसीहत एवं हस्तांतरण द्वारा विक्रय पत्र आरम्भ से ही शून्य है निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थित में पारित किया है। जिसकी जानकारी नही थीं दिनांक 9.8.21 को हल्का पटवारी से जानकारी होने पर नकल वगै. लेकर अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील को अन्दर म्याद शुमार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.8.1991 निरस्त किया जावे उसके पश्चात किये गये अन्य नामान्तकरण वहक गिर्राजशरण व विक्रय पत्र दिनांक 10.8.21 को निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भू.अभि. नदबई के पत्रांक एलआर/23/5524 दिनांक 21.12.23 के द्वारा नामान्तकरण सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पों की ओर से उनके अभिभाषक श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित आये ।

रेस्पो0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति इस आशय का पेश हुआ जो संक्षेप में इस प्रकार है आवंटन आदेश दिनांक 2.7.1973 के विरुद्ध पूर्व में भी एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4)एलआर एक्ट के तहत उनवानी यादराम बनाम विपती वगै. संख्या 15/1990 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के यहाँ चला था। जिसे न्यायालय अति0जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 2.8.1991 से प्रार्थना पत्र 14(4) को खारिज करते हुये आवंटन आदेश 02.07.1973 को बहाल रखा है जो कि अन्तिम है। उसी आवंटन आदेश 02.07.1973 को पुनः चुनौती नहीं दी जा सकती है, कानूनन एक बार प्रकरण अन्तिम रुप से तय होने के उपरान्त पुनः विचरित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 9.8.1991 को अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया गया है इसलिए जब आंवटन आदेश वैध है तो उसके आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तकरण भी वैध है। नामान्तकरण स्वीकार हुये 30 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है और इतनी लम्बी अवधि बाद आंवटन वैध होने के बाद अपीलाधीन नामान्तकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

रेस्पो. की ओर से जबाब प्राथमिक आपत्ति पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी प्राथमिक आपत्तिकर्ता/रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर कि विचाराधीन अपील विवादित नामान्तकरण संख्या 859

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

दिनांक 9.8.91 के खिलाफ पेश की गई है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तक है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 859 ग्रांम बछामंदी नदबई आवंटन आदेश दिनांक 2.7.73 एवं ए.डी.एम. भरतपुर के निर्णय दिनांक 2.8.1991 की पालना में तहसीलदार नदबई ने स्वीकार किया गया है जिसमें तहसीलदार नदबई ने कोई त्रुटि नहीं की है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि न्यायालय ए.डी.एम. भरतपुर के यहॉ विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) एलआर एक्ट के तहत उनवानी यादराम बनाम विपती वगे. प्रकरण संख्या 15/1990 में अपने निर्णय दिनांक 2.8.1991 से प्रार्थना पत्र 14(4) को खारिज करते हुये आवंटन आदेश 02.07.1973 को बहाल रखा है जो कि अन्तिम है। उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया गया, ए.डी.एम. भरतपुर का आदेश दिनांक 2.8.91 अन्तिम आदेश है, और उसी आदेश को नामान्तकरण अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है। विचाराधीन प्रकरण पूर्व आदेश दिनांक 02.08.1991 के तहत पूर्व न्याय से वाधित है और कानूनन एक बार प्रकरण अन्तिम रुप से तय होने के उपरान्त पुनः विचरित नहीं किया जा सकता है। आवंटन आदेश व पूर्व आदेशों की पालना में नामान्तकरण स्वीकार किया गया है अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो. का यह भी तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण को स्वीकृत हुये 30 वर्ष की अवधि हो चुकी है और इतनी लम्बी अवधि वाद आवंटन वैध होने के पश्चात अपीलाधीन नामान्तकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है अपील म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य रहती है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो ने अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्टेज पर खारिज की जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलान्ट ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र 14(4) पेश नहीं किया गया है, इसलिए तथाकथित आदेश पूर्व न्याय की संज्ञा में नहीं आता है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के बीच ऐसा कोई प्रकरण नहीं चला है और न ही कोई ऐसा निर्णय हुआ है । योग्य अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलान्ट का कहना है कि दिनांक 2.8.91 का आदेश चारागाह भूमि पर होने के कारण आरम्भ से शून्य है जो पूर्ण रुपेण इग्नोर किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 128/0.39 (गत खसरा नम्बर 84/1-11) ग्रांम बछामदी नदबई चारागाह की भूमि है इसलिए उस पर कोई गैर खातेदारी या खातेदारी अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आदेश तहत अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण शून्य है निरस्त किये जाने योग्य है। नियम 14(4) का आदेश कोई रेसजूडीकेटा का प्रभाव नहीं है। इस लिये प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्राथमिक ऐतराज में उठाये गये बिन्दूओं एवं पत्रावली में उपलब्ध नकुलात का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 859 तारीखी 9.8.1991 ग्रांम बछामदी, नदबई के कॉलम संख्या 14 में अंकन है जो इस प्रकार है –

"……हुकमन आवंटन दिनांक 2.7.1973 फैसला ए.डी.एम.सा. भरतपुर दिनांक 2.8.91 ..."

नामान्तकरण पर तहसीलदार नदबई ने आदेश अंकित किया है जो इस प्रकार है :–

"……मुताविक निर्णय श्रीमान ए.डी.एम.सा.भरतपुर के विपत्ति पुत्र श्रीचंद जाति जाट आ.ख.न. 84मि. रकवा 1-11 पर गैर खातेदार स्वीकार है । पटवार कागजात में अमल किया जावे..... ।"
एस.डी./– तहसीलदार नदबई 9.8.91

अपीलाधीन नामान्तकरण पर हो रहे उक्त आदेश से यह निर्विवाद है कि तहसीलदार नदबई ने यह नामान्तकरण ए.डी.एम.भरतपुर के निर्णय दिनांक 2.8.91 की पालना में खोला गया है। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय ए.डी.एम.भरतपुर के निर्णय दिनांक 2.8.91 के अवलोकन से जाहिर है कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्रकरण संख्या 15/1990 प्रार्थी यादराम पुत्र मूला जाति जाट ने विपती पुत्र श्रीचन्द जाति जाट वगे. के खिलाफ आ.ख.न. 84 मि. रकवा 1-11 आंवटन आदेश दिनांक 2.7.1973 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया गया था। न्यायालय ए.डी.एम.भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 2.8.1991 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज करते हुये आवंटन आदेश दिनांक 2.7.1973 को बहाल रखा है। न्यायालय ए.डी.एम. भरतपुर के आदेश दिनांक 2.8.1991 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने का कोई तथ्य रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और ना ही योग्य अभिभाषक अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ही वक्त बहस ऐसा कोई तथ्य हमारे समक्ष पेश किया है, यानि न्यायालय ए.डी.एम. भरतपुर का आदेश दिनांक 2.8.1991 अन्तिम आदेश है।

अपीलान्ट ने अपील के माध्यम से नामान्तकरण संख्या 859 तारीखी 9.8.1991 ग्रांम बछामदी, नदबई के खिलाफ करीब 30 साल बाद चुनोती दी गई है। अपीलार्थी ने अपने म्याद प्रार्थना पत्र में देरी का कारण अपीलार्थी की गैर हाजरी में आदेश दिनांक 9.8.91 पारित करना बताया गया है तथा हल्का पटवारी से दिनांक 9.8.21 को उक्त आदेश की जानकारी होना अंकित किया है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम की ताईद में ऐसा कोई साक्ष्य शपथ–पत्र सम्बन्धित पटवारी हल्का का पेश नहीं किया गया है, अतः म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 काबिल स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्यायालय ए.डी.एम.भरतपुर के आदेश दिनांक 2.8.1991 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज करते हुये आवंटन आदेश दिनांक 2.7.1973 को बहाल रखा है। तहसीलदार नदबई ने अपीलाधीन नामान्तकरण, ए.डी.एम.भरतपुर के आदेश दिनांक 2.8.1991 की पालना में खोला गया है। अपील के माध्यम से ए.डी.एम. भरतपुर के निर्णय दिनांक 2.8.1991 को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अस्तु प्रार्थना पत्र प्राथमिक ऐतराज स्वीकार किया जाना एवं अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्राथमिक ऐतराज स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर